राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना (सीकर)

उनवान किशोरीलाल शर्मा बनाम ग्राम पंचायत गांवडी

किस्मः— निगरानी; मुकदमा नम्बरः— 67/2021

20.07.2023 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने बताया कि ग्राम पंचायत गांवड़ी द्वारा प्रार्थी के मामा के नाम से पट्टा संख्या 42 दिनांक 02.10.1964 को जारी किया गया था। बिहारी फौत हो गया जिसका एक मात्र वारिस प्रार्थी है। पट्टेशुदा भूमि पर अतिक्रमण होने पर एक प्रार्थना—पत्र ग्राम पंचायत को दिनांक 04.02.1986 को दिया एवं अतिक्रमण हटाने व सीमाज्ञान कराने का निवेदन किया गया। दिनांक 20.10.1986 को प्रस्ताव संख्या 4 ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटाने बाबत प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में सरपंच द्वारा रंजिसवश अंकन किया कि दोनों ही पक्ष पशु वगै. नहीं बांधेगें एवं ना ही कोई निर्माण करेगें। इस प्रस्ताव द्वारा निगरानी कर्ता के नाम जारी पट्टे को सार्वजनिक करने कि कोशिश कि सार्वजनिक शब्द का प्रयोग किया जिस बाबत प्रार्थी को कोई सूचना नहीं दि गई। प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 07.10.2019 को ग्राम पंचायत ने आवासीय भू—खण्ड माना है। प्रस्ताव में सार्वजनिक शब्द हटाने का निवेदन किया जिस बाबत ग्राम पंचायत द्वारा मना कर दिया गया। प्रार्थी द्वारा पंचायत समिती नीमकाथाना में अपील पेश कि जिसको दिनांक 14.06.2021 प्रधान पंचायत समिती नीमकाथाना ने पत्रावली जमा करने से मना कर दिया इसलिए श्रीमान के समक्ष निगरानी पेश की।

अतः प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 20.10.1986 को संशोधित कर पट्टशुदा भू—खण्ड बाबत जो सार्वजनिक शब्दों को प्रयोग किया गया है उसे निरस्त फरमाने का आदेश प्रदान करें।

वकील प्रार्थी कि बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध पट्टे के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम पंचायत गांवडी द्वारा 02.10.1964 को एक पट्टा बिहारी लाल वल्द लखमाराम, निवासी गांवड़ी के नाम जारी किया गया है। उसी दिन दिनांक 02.10.1964 को बिहारी लाल के नाम से उन्नीस रूपये सैंतीस पैंसे ग्राम पंचायत में जमा करवाये है। जिसकी रसीद कि फोटोप्रति भी पत्रावली में शामिल है। निगरानी कर्ता के पास वैकलपिक व्यवस्था होते हुये भी सीधे निगरानी पेश कि गई है जबकि इसका उल्लेख खुद निगरानी कर्ता ने पैराग्राफ छः में किया है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी नियमानुसार मौजूद वैकलपिक व्यवस्था होने के कारण लौटाई जाती है। प्रार्थी/निगरानीकर्ता अगर चाहे तो इस प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 20.10.1986 कि सक्षम स्तर पर चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। आदेश सुनाया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर,
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:10:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner